प्रेस नोट *09/01/2025*

01 वांछित तथा 01 वांरण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 09.01.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर अहिरौली मोड़ के पास से मु0अ0सं0 09/25 धारा 76,351(3),352,333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त पिण्टू यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी मंसाछापर पोस्ट कटाई भरपुरवा थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

साथ ही साथ थाना घोसी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त कलपू पुत्र फुलेसर निवासी गौरीडिह थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते मे गलती से भेजे गये कुल धनराशि 7,000 रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते मे गलती से भेजे गये, पीडित शैलेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल धनराशि 7,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना सरायलखन्सी, निरिक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, का0आ0 आशीष दूबे, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/पॉक्सो कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 09-01-2025 को मु0अ0सं0 557/2017 धारा 354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त सदरें आलम उर्फ फ़ल्लू पुत्र गुड्डू निवासी भैरोपुर थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।